

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/RET-1/2020/

दिनांक:-

-:आदेश:-

निम्नांकित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके थे किन्तु कोविड-19 के मध्यनजर इनकी सेवावधि बढ़ाये जाने के कारण नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण की तिथि	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कोविड-19 के कारण सेवावधि बढ़ाये जाने के बाद सेवानिवृत्ति तिथि
1	ओमप्रकाश गुप्ता	नर्स प्रथम	अलवर	02.03.1960	31.03.2020	260/31.05.2020	30.09.2020
2	गिराज प्रसाद शर्मा	नर्सिंग ट्यूटर	अलवर	10.03.1960	31.03.2020	260/31.05.2020	30.09.2020
3	छोटन लाल सैन	नर्स प्रथम	अलवर	13.07.1960	31.07.2020	587/26.11.2019	30.09.2020
4	सुरेश चन्द अग्रवाल	नर्स प्रथम	अलवर	02.07.1960	31.07.2020	587/26.11.2019	30.09.2020
5	दयानन्द यादव	नर्स प्रथम	अलवर	21.04.1960	30.04.2020	439/30.09.2019	30.09.2020

नोट:-विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 48 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा वित्त विभाग के आई डी. क्रमांक 102001759 दिनांक 30.03.2020 के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में माह मार्च-2020 से अगस्त-2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग की सेवानिवृत्ति अवधि 01 माह से 06 माह तक की सेवा में अभिवृद्धि किये जाने के कारण क्रम संख्या 1 से 5 पर अंकित कर्मिकों को इनके नाम के सम्मुख अंकित अभिवृद्धि तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 5 पर अंकित नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/RET-1/2020/311

दिनांक:- 15.06.2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर